

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

नामान्तरण अपील वाद संख्या-07/2020-21

महेश मिश्रा.....प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य.....द्वितीय पक्ष

आदेश

अंचल कार्यालय बगोदर के नामान्तरण वाद संख्या-4R27/2020-21 में विज्ञ अंचल अधिकारी बगोदर के द्वारा पारित आदेश दिनांक-01.07.2020 के विरुद्ध अपीलार्थी महेश मिश्रा पिता स्व० भुनेश्वर मिश्रा, ग्राम-पथलडीहा, थाना-बगोदर, जिला-गिरिडीह के द्वारा दायर किये गये इस नामान्तरण अपीलवाद में निहित भूमि की विवरणी निम्न है :-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा
पथलडीहा	102	22	1397	02 डी०
		22	1398	08 डी०
		22	1401	06 डी०
कुल रकवा-				16 डी०

अपीलवाद दायर किए जाने के पश्चात वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथियों में उभय पक्षों को उनके विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से सुना गया तथा इसे संचिकाबद्ध किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वादगत भूखण्ड खतियानी रैयत रामलाल कुरमी वो नेहाल कुरमी, वढ़ना कुरमी के वंशज गेंदा कुरमी वल्द नेहाल कुरमी के द्वारा दिनांक-04.05.1948 अर्थात् आज से 72 वर्ष पूर्व को शिवन सोनार के नाम से खाता नं०-22, प्लॉट नं०-1397, 1398 एवं 1401 कुल रकवा-16 डी० जमीन रजिस्ट्री डीइ की गई है। इसी के आधार पर शिवन सोनार इस भूमि पर काबिज हुए तथा जमाबंदी कायम कर वर्ष 2018 तक इनके नाम पर सरकारी रसीद निर्गत होता आ रहा है। इसी भूमि को पुनः शिवन सोनार के वंशज नारायण साव वगै० के द्वारा दिनांक-11.09.2018 डीइ संख्या-4503 द्वारा महेश मिश्रा पिता स्व० भुनेश्वर मिश्रा, साकिन-पथलडीहा, थाना-बगोदर, जिला-गिरिडीह को नियमानुसार रजिस्ट्री

कर दिया। इसी के आधार पर श्री मिश्रा इस भूमि पर काबिज होकर विज्ञ अंचल अधिकारी बगोदर के कार्यालय में दाखिल-खारिज हेतु आवेदन दिए जिसमें विज्ञ अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा भूमि को सी.एन.टी. खाते की बताते हुए दिनांक-01.07.2020 को दाखिल-खारिज आवेदन को खारिज कर दिए हैं।

विज्ञ अंचल अधिकारी, बगोदर के इस आदेश को अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता ने निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर उचित नहीं कहा है।

1. प्रथम दृष्टया में दाखिल खारिज का मुकदमा को अधिकार हक और दखल-कब्जा किसी व्यक्ति का नहीं रखता है। बल्कि यह मालगुजारी भुगतान से संबंध होता है और नया जमाबंदी से संबंध नहीं रखता है। इसलिए किसी तरह का अधिकार हक और दखल-कब्जा पर पाया जाना और धारा 46 छोटनागपुर कानून निषेधात्मक के आधार पर सही नहीं है और रेभेन्यू पदाधिकारी के क्षत्राधिकार से बाहर है।
2. जब किसी तरह का क्रय-विक्रय रैयत या इसके वंशज के द्वारा किया गया हो तो छोटनागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 13 के नियम के तहत हस्तान्तरण को तब तक के लिए स्वीकृत किया था और धारा 23A के तहत जमीन्दार/सरकार आदेश पर इसे स्वीकार करके इसके निबंधन के अनुसार किया हो और यह रैयत को बनता है कि सरकार को मालगुजारी अदाय धारा 24 छोटनागपुर रैयत कानून के तहत करे।
3. धारा 22 छोटनागपुर रैयत कानून रैयत के अधिकार का बचाव करता है और रैयत का अधिकार हक, दखल कब्जा सरकार का निरर्थक समझा जाता है जब तक किसी अदालत द्वारा डिग्री पारित नहीं होता है।
4. छोटनागपुर रैयत कानून के धारा 46(i)(B) खण्ड के संबंध में स्पष्ट नियम है कि यदि कोई दस्तावेज तीन वर्ष से अधिक प्रभाव में है और वह खरीदार 12 वर्ष से अधिक दखल-कब्जा में है तो वैसे परिस्थिति में स्वाभाव से बाधित है तो वैसे खरीदार का दाखिल-खारिज को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। धारा 46 के कंडिका 4A(C) में आदेश है कि 1969 से 1975 के अवधि के दौरान ऐसा दस्तावेज को नहीं प्रभावित होगा यह विवाद से प्रति रक्षित है। खास तौर से हजारीबाग जिला में जो पहले गिरिडीह जिला सम्मिलित था। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कानून पारित किया गया है। उसे राज्य सरकार के द्वारा देखा भी नहीं जा सकता है। 1993(1) पी.एल.जे.आर.



473, 1997(1) बी.एल.जे.आर. 168, 1997(1) बी.एल.जे.आर. 161, 1997 बी.एल.जे.आर. 168, 1991 बी.वी.सी.जे. 335, 1991(2) पी.एल.जे.आर. 208, 1997, बी.एल.जे.आर. 161 पटना।

5. Section 12 of the Tenant's holding (संचिका का निर्वाह करना) कानून में आदेश है कि दाखिल-खारिज के मुकदमा में अंचल अधिकारी दाखिल-खारिज को स्वीकृत करता है तो इसे बहुत साल बाद नहीं हटा सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य है कि जमींदारी खत्म होने के पश्चात बिहार सरकार में परिणत होने पर लम्बे समय से जमाबंदी चल रहा है जो रैयत का मूल्यवान अधिकार बनता है जिसे राज्य के पदाधिकारी द्वारा इनकार नहीं किया जा सकता है।

उक्त बिन्दुओं के आधार पर दिनांक-01.07.2020 विज्ञ अंचल अधिकारी द्वारा पारित नामान्तरण वाद संख्या-04R27/2020-21 नियमानुकूल तर्क संगत नहीं है। जिसे खारिज किया जाय।

अपीलार्थी के उपर्युक्त विवेचना दाखिल दावा-साक्ष्य तथा निम्न न्यायालय मूल अभिलेख का समग्र रूप में अवलोकन तथा उनके सम्यक विवेचन के उपरांत यह पाया गया कि -

1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिनांक-02 मार्च 1912 द्वारा जारी अधिसूचना जिसमें राँची झारखण्ड की सिर्फ 51 पिछड़ी जातियों की जमीन ही छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के दायरे में आयेगी। इस प्रकृति की भूमि अगड़े नहीं खरीद सकते, ऐसी भूमि की खरीद-बिक्री इन्हीं जातियों के बीच हो सकेगी। इस नियम के तहत विज्ञ अंचल अधिकारी, बगोदर का दिनांक-01.07.2020 पारित आदेश नहीं आता है।

अनुसूची दो में शामिल 103 पिछड़ी जातियों को सी.एन.टी. के बाहर रखा गया है जिसमें सोनार जाति के लोग आते हैं जिसकी जमीन की खरीद-बिक्री किसी भी जाति के बीच हो सकती है, इसलिए महेश मिश्रा पिता स्व० भुनेश्वर मिश्रा द्वारा दिनांक-11.09.2018 को शिवन सोनार के वंशज नारायण साव वगै० से खरीदी गई जमीन पर सी.एन.टी. एक्ट का नियम लागू नहीं होता है।

2. अपीलार्थी महेश मिश्रा द्वारा डीड संख्या-4503 दिनांक-11.09.2018 भारतीय निबन्धन कानून 1908 के तहत किया गया है।

3. इस जमीन का जमाबंदी विपक्षी 02 से 05 के दादा नामीदे शिवन सोनार के नाम से चल रहा है जो इसने बजरिए विक्रय पत्र संख्या-2593 दिनांक-04.05.1948 को 72 साल पहले हासिल किया था।
4. छोटानागपूर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के कंडिका 4A(C) के तहत 1969 से 1975 के अवधि के दौरान ऐसा दस्तावेज प्रभावित नहीं होगा।
5. पूर्व में हजारीबाग जिला में ही गिरिडीह जिला सम्मिलित था जो Non-Schedule Area में आता है जहाँ Limitation 12 वर्ष है।

उक्त तथ्यों के आधार पर विज्ञ अंचल अधिकारी बगोदर द्वारा दिनांक-01.07.2020 को पारित आदेश को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभिलेख को Remand किया जाता है। अंचल अधिकारी, बगोदर नियमानुसार नामांतरण के सम्बंध में निर्णय लेंगे।

लेखापित एवं सत्यापित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)